रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012022-232408
CG-DL-E-04012022-232408

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 4, 2022/पौष 14, 1943
No. 4] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 2022/PAUSHA 14, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 4(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 की उप-धारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 में, -

(i) नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"3. कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति-(1) प्रत्येक पद के लिए पदों की संख्या, भर्ती की रीति, पात्रता और विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना ऐसी होगी, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

(2) केंद्रीय सरकार, विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर, प्राधिकरण के सचिव और कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति कर सकेगी।

(3) प्राधिकरण, इन नियमों के अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर, प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), महाप्रबंधक (जीएम), उप महाप्रबंधक (डीजीएम), सहायक महाप्रबंधक (एजीएम), प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, वैयक्तिक या सामान्य सहायक, वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और चालक की नियुक्ति कर सकेगा।

(4) प्राधिकरण, प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), महाप्रबंधक (जीएम), उप महाप्रबंधक (डीजीएम), सहायक महाप्रबंधक (एजीएम), प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, वैयक्तिक या सामान्य सहायक, वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और चालक के पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए, उनकी अभ्यर्थिता की उपयुक्तता की जांच करके आमंत्रित करेगा और चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागीय पदोन्नति समिति को प्रदान करेगा।";

(ii) अनुसूची में, -

(क) सचिव के पद से संबंधित स्तंभ (1) में क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तंभ (12) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) सचिव (कारपोरेट कार्य मंत्रालय) - अध्यक्ष

(2) अध्यक्ष, प्राधिकरण - सदस्य;

(3) संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट कार्य मंत्रालय)-सदस्य।";

(ख) कार्यपालक निदेशक के पद से संबंधित स्तंभ (1) में क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तंभ (12) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) अध्यक्ष, प्राधिकरण - अध्यक्ष;

(2) संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट कार्य मंत्रालय)- सदस्य;

(3) प्राधिकरण द्वारा नामित किया गया एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य।";

(ग) मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) के पद से संबंधित स्तंभ (1) में क्रम संख्यांक 3 के सामने, स्तंभ (12) में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"(1) अध्यक्ष, प्राधिकरण - अध्यक्ष;

(2) प्राधिकरण का एक पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य;

(3) प्राधिकरण द्वारा नामित किया गया एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य।";

(घ) महाप्रबंधक (जीएम) के पद से संबंधित स्तंभ (1) में क्रम संख्यांक 4 के सामने, स्तंभ (12) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) अध्यक्ष, प्राधिकरण - अध्यक्ष;

(2) प्राधिकरण का एक पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य;

(3) प्राधिकरण द्वारा नामित किया गया एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य।";

(ड.) उप महाप्रबंधक (डीजीएम) के पद से संबंधित स्तंभ (1) में क्रम संख्यांक 5 के सामने, स्तंभ (12) में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) अध्यक्ष, प्राधिकरण - अध्यक्ष;

(2) प्राधिकरण का एक पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य;

(3) प्राधिकरण द्वारा नामित किया गया एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य।";

(च) सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) के पद से संबंधित स्तंभ (1) में क्रम संख्यांक 6 के सामने, स्तंभ (12) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) अध्यक्ष, प्राधिकरण - अध्यक्ष;

(2) प्राधिकरण का एक पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य;

(3) प्राधिकरण द्वारा नामित किया गया एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य।";

(छ) प्रबंधक के पद से संबंधित स्तंभ (1) में क्रम संख्यांक 7 के सामने, स्तंभ (12) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) अध्यक्ष, प्राधिकरण - अध्यक्ष;

(2) प्राधिकरण का एक पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य;

(3) प्राधिकरण द्वारा नामित किया गया एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य।";

(ज) सहायक प्रबंधक के पद से संबंधित स्तंभ (1) में क्रम संख्यांक 8 के सामने, स्तंभ (12) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) अध्यक्ष, प्राधिकरण - अध्यक्ष;

(2) प्राधिकरण का एक पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य;

(3) प्राधिकरण द्वारा नामित किया गया एक बाह्य विशेषज्ञ - सदस्य।";

(झ) वैयक्तिक या सामान्य सहायक के पद से संबंधित स्तंभ (1) में क्रम संख्यांक 9 के सामने, स्तंभ (12) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) सचिव, प्राधिकरण - अध्यक्ष;

(2) कार्यकारी निदेशक, प्राधिकरण - सदस्य;

(3) मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), प्राधिकरण - सदस्य।";

(ञ) वैयक्तिक या सामान्य सहायक के पद से संबंधित स्तंभ (1) में क्रम संख्यांक 10 के सामने, स्तंभ (12) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) सचिव, प्राधिकरण - अध्यक्ष;

(2) कार्यकारी निदेशक, प्राधिकरण - सदस्य;

(3) मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), प्राधिकरण - सदस्य।";

(ट) वैयक्तिक या सामान्य सहायक के पद से संबंधित स्तंभ (1) में क्रम संख्यांक 11 के सामने, स्तंभ (12) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) सचिव, प्राधिकरण - अध्यक्ष;

(2) कार्यकारी निदेशक, प्राधिकरण - सदस्य;

(3) मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), प्राधिकरण - सदस्य।";

(ठ) वरिष्ठ निजी सचिव के पद से संबंधित स्तंभ (1) में क्रम संख्यांक 12 के सामने, स्तंभ (12) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) सचिव, प्राधिकरण - अध्यक्ष;

(2) मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), प्राधिकरण - सदस्य;

(3) उप महाप्रबंधक (डीजीएम), प्राधिकरण - सदस्य।";

(ड.) निजी सचिव के पद से संबंधित स्तंभ (1) में क्रम संख्यांक 13 के सामने, स्तंभ (12) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) सचिव, प्राधिकरण - अध्यक्ष;

(2) मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), प्राधिकरण - सदस्य;

(3) उप महाप्रबंधक (डीजीएम), प्राधिकरण - सदस्य।";

(ढ) चालक के पद से संबंधित स्तंभ (1) में क्रम संख्यांक 14 के सामने, स्तंभ (12) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) सचिव, प्राधिकरण - अध्यक्ष;

(2) मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), प्राधिकरण - सदस्य;

(3) उप महाप्रबंधक (डीजीएम), प्राधिकरण - सदस्य।

[फा. सं. एनएफआरए-05/9/2021-कॉम्प-एमसीए]

के.वी.आर मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 369(अ), तारीख 16 मई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात्, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 526(अ), तारीख 25 जुलाई, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2022

G.S.R. 4(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Financial Reporting Authority (Recruitment, Salary, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Secretary, Officers and Other Employees of Authority) Rules, 2019, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the National Financial Reporting Authority (Recruitment, Salary, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Secretary, Officers and Other Employees of Authority), Amendment, Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Financial Reporting Authority (Recruitment, Salary, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Secretary, Officers and Other Employees of Authority) Rules, 2019, -

(i) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Recruitment and appointment of employees.- (1) The number of posts, mode of recruitment, eligibility and composition of Departmental Promotion Committee for each post shall be such as specified in the Schedule.

(2) The Central Government may, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, appoint the Secretary and Executive Director of the Authority.

(3) The Authority may, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, appoint the Chief General Manager (CGM), General Manager (GM), Deputy General Manager (DGM), Assistant General Manager (AGM), Manager, Assistant Manager, Personal or General Assistant, Sr. PS., Private Secretary and Driver of the Authority in accordance with these rules.

(4) The Authority shall invite applications for the posts of Chief General Manager (CGM), General Manager (GM), Deputy General Manager (DGM), Assistant General Manager (AGM), Manager, Assistant Manager, Personal or General Assistant, Sr. PS., Private Secretary and Driver of the Authority from eligible candidates after observing due process, examine suitability of their candidature and provide the list of eligible candidates to the Departmental Promotion Committee to undertake the selection process.";

(ii) In the Schedule, -

(a) against serial number 1 in Column (1) relating to the post of Secretary, for the entries in Column (12), the following entries shall be substituted, namely:-

"(1) Secretary (Ministry of Corporate Affairs) - Chairman

(2) Chairperson, Authority - Member;

(3) Joint Secretary (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs) - Member.";

(b) against serial number 2 in Column (1) relating to the post of Executive Director, for the entries in Column (12), the following entries shall be substituted, namely:-

"(1) Chairperson, Authority - Chairman;

(2) Joint Secretary (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs) - Member;

(3) one external expert to be nominated by the Authority - Member.";

(c) against serial number 3 in Column (1) relating to the post of Chief General Manager (CGM), for the entries in Column (12), the following entries shall be substituted, namely:-

"(1) Chairperson, Authority - Chairman;

(2) one Full-time Member, Authority - Member;

(3) one external expert to be nominated by the Authority - Member.";

(d) against serial number 4 in Column (1) relating to the post of General Manager (GM), for the entries in Column (12), the following entries shall be substituted, namely:-

"(1) Chairperson, Authority - Chairman;

(2) one Full-time Member, Authority - Member;

(3) one external expert to be nominated by the Authority - Member.";

(e) against serial number 5 in Column (1) relating to the post of Deputy General Manager (DGM), for the entries in Column (12), the following entries shall be substituted, namely:-

"(1) Chairperson, Authority - Chairman;

(2) one Full-time Member, Authority - Member;

(3) one external expert to be nominated by the Authority - Member.";

(f) against serial number 6 in Column (1) relating to the post of Assistant General Manager (AGM), for the entries in Column (12), the following entries shall be substituted, namely:-

"(1) Chairperson, Authority - Chairman;

(2) one Full-time Member, Authority - Member;

(3) one external expert to be nominated by the Authority - Member.";

(g) against serial number 7 in Column (1) relating to the post of Manager, for the entries in Column (12), the following entries shall be substituted, namely:-

"(1) Chairperson, Authority - Chairman;

(2) one Full-time Member, Authority - Member;

(3) one external expert to be nominated by the Authority - Member.";

(h) against serial number 8 in Column (1) relating to the post of Assistant Manager, for the entries in Column (12), the following entries shall be substituted, namely:-

"(1) Chairperson, Authority - Chairman;

(2) one Full-time Member, Authority - Member;

(3) one external expert to be nominated by the Authority - Member.";

(i) against serial number 9 in Column (1) relating to the post of Personal or General Assistant, for the entries in Column (12), the following entries shall be substituted, namely:-

“(1) Secretary, Authority - Chairman;

(2) Executive Director, Authority - Member;

(3) Chief General Manager (CGM), Authority - Member.”;

(j) against serial number 10 in Column (1) relating to the post of Personal or General Assistant, for the entries in Column (12), the following entries shall be substituted, namely:-

“(1) Secretary, Authority - Chairman;

(2) Executive Director, Authority - Member;

(3) Chief General Manager (CGM), Authority - Member.”;

(k) against serial number 11 in Column (1) relating to the post of Personal or General Assistant, for the entries in Column (12), the following entries shall be substituted, namely:-

“(1) Secretary, Authority - Chairman;

(2) Executive Director, Authority - Member;

(3) Chief General Manager (CGM), Authority - Member.”;

(l) against serial number 12 in Column (1) relating to the post of Sr. PS, for the entries in Column (12), the following entries shall be substituted, namely:-

“(1) Secretary, Authority - Chairman;

(2) Chief General Manager (CGM), Authority - Member;

(3) Deputy General Manager (DGM), Authority - Member.”;

(m) against serial number 13 in Column (1) relating to the post of Private Secretary, for the entries in Column (12), the following entries shall be substituted, namely:-

“(1) Secretary, Authority - Chairman;

(2) Chief General Manager (CGM), Authority - Member;

(3) Deputy General Manager (DGM), Authority - Member.”;

(n) against serial number 14 in Column (1) relating to the post of Driver, for the entries in Column (12), the following entries shall be substituted, namely:-

“(1) Secretary, Authority - Chairman;

(2) Chief General Manager (CGM), Authority - Member;

(3) Deputy General Manager (DGM), Authority - Member.”

[F. No. NFRA-05/9/2021-Comp-MCA)]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 369(E), dated the 16th May, 2019 and subsequently amended vide notification number GSR 526(E), dated the 25th July, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.04 22:55:46 +05'30'